'टॉपर घोटाले में बच्चों की पहचान उजागर न हो'

Poonam.Pandey@timesgroup.com

■ **नई दिल्ली :** बिहार टॉपर स्कैम मामले में नैशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) ने राज्य सरकार से कहा कि बच्चों की पहचान उजागर न हो। साथ ही कमिशन ने यह मामला जेजे एक्ट के तहत डील करने को कहा है।

बिहार में 12वीं के रिजल्ट घोषित होने के बाद टॉपर स्टूडेंट्स पर सवाल उठने लगे। जिसके बाद बड़ा घोटाला होने की बात कही जाने लगी। इस मामले में टॉपर्स सहित कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई। एनसीपीसीआर इस बात से खफा है कि बच्चों की पहचान कैसे सार्वजनिक की जा रही है। एनसीपीसीआर मेंबर प्रियंक कानूनगो ने कहा, 'हमारे लिए बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है और उनके अधिकारों की अवहेलना हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला कि बच्चों के खिलाफ एफआईआर कराई गई है। जेजे ऐक्ट के तहत अगर बच्चों ने किसी मामले में साजिश की है तो भी बच्चों की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती। हमने बिहार सरकार से इस मामले में सख्त कदम उठाने को कहा है।'

NCPCR ने बिहार सरकार को पूरा मामला जेजे ऐक्ट के तहत डील करने को कहा

5 लाख में बेचे गए 12वीं के सर्टिफिकेट

■ **टीएनएन, पटना :** 12वीं बोर्ड परीक्षा घोटाला मामले में अब एक नई जानकारी सामने आई है। मामले की जांच कर रही एसआईटी के एक सूत्र ने बताया है कि घोटालेबाज पांच लाख रुपये में इंटरमीडिएट (12वीं) का फर्जी सर्टिफिकेट बेच रहे थे। दूसरी ओर घोटाले में एक स्थानीय कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) के पूर्व चेयरमैन लालकेश्वर प्रसाद सिंह और उनकी पत्नी के अलावा जेडीयू के पूर्व विधायक उषा सिन्हा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।

नवभारत टाइम्स June 16, 2016